न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 28/2021 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

मांगीलाल पुत्र रामनाथ जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम आमाली तह० बसवा जिला दौसा राज.

... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बडौदरा मुंम्बई संख्या 148 एन. कार्यालय आगरा रोड, रावत होटल के पीछे, दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामचरण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम आमाली के खसरा नंबर 258 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी ग्राम आमाली तहसील बसवा जिला दौसा का निवासी काश्त व्यवसायी व्यक्ति है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 258 वाके ग्राम आमाली तहसील बसवा पर अपना रिहायशी मकान पुख्ता बना रखा है। प्रार्थी अपने 20 पारिवारिक सदस्यो सहित अपने इस मकान में निवास करता है। प्रार्थी के पास इस मकान के अतिरिक्त अन्य केई आवासीय मकान नही है। प्रार्थी ने अपने जीवनभर की कमाई लगाकर अपने व अपने परिवार के रहवास के लिए मकान का निर्माण करवाया है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली बडोदरा मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के निर्माणार्थ भूमियां अवाप्त की गई है तद्नुसार ग्राम आमाली तहसील बसवा की आराजी खसरा नम्बर 258 पर बने प्रार्थी के मकान की भी भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई द्वारा अवाप्त किया गया है। प्रार्थी के अवाप्तशुदा मकान को मकान न.डी.बी. 123 के रूप में चिन्हित किया गया है। भूमि अवाप्ति अवार्ड मे उक्त नम्बर अंकित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी के अवाप्तशुदा मकान की प्रतिकर राशि (मुआवजा) सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बांदीकुई जिला दौसा के सम्पत्ति मुल्यांकन प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के आधार पर 14,25,840/– रूपये निर्धारित किये गये है जो उचित प्रतिकर नही है। सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थी के मकान के अवाप्तशुदा भाग को मुल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया तद्नुसार प्रार्थी के मकान का अग्र भाग जिसमें हाल कमरा बरामदा को अवाप्ति के लिए दर्शित कर मुल्यांकन प्रतिवेदन बनाया है जो सही नही है क्योकि मकान लकडी का बना हुआ नही है जिसकी चिराई कर विशिष्ट भाग को पृथक किया जा सके। अवाप्तशुदा भू भाग को ध्वस्त करने पर सारा मकान ध्वस्त होगा मकान रिहायश के लिए उपयोगी नही रहेगा अतः प्रार्थी के मकान को ध्वस्त करवाने पर प्रार्थी की पूरे मकान का प्रतिकर (मुआवजा) दिलवाया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष उचित प्रतिकर मुआवजा निर्धारण नही होने के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उचित प्रतिकर चाहने हेतु निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा प्रार्थी की आपत्ति पर विचार नही कियागया। उचित प्रतिकर निर्धारण नही किया गया अतः प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया है। प्रार्थी ने अपने अवाप्तशुदा मकान की कीमत का मुल्यांकन श्री राकेश अग्रवाल चार्टड इन्जिनियर जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता है से करवाया है तद्नुसार प्रार्थी के आवागमनशुदा मकान का मुल्यांकन 13,26,000/–रूपये अक्षरे तेरह लाख छब्बीस हजार रूपये बनता है जिसकी दोगुनी राशि उचित प्रतिकर स्वरूप प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के अवाप्तशुदा भाग का 7,12,920/– रूपये निर्धारित कर दो गुनी राशि प्रतिकर 14,25,800/– रूपये निर्धारित की है जो उचित प्रतिकर राशि नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के अवाप्तशुदा मकान की प्रतिकर राशि मान्यता प्राप्त इंजिनियर के मुल्यांकन अनुसार 13,26,000/–रूपयें की दोगुनी राशि 26,52,000/–रूपये निर्धारित कर प्रार्थी को भुगतान करने के लिए अप्रार्थी संख्या एक को आदेशित फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बादीकुई के द्वारा प्रार्थी की ग्राम आमाली स्थित भूमि खसरा नंबर 258 में स्थित संरचना सं0 डीबी 123 एलएचएस का मुआवजा अवार्ड आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर मुआवजा बढी हुई दर से प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के 149.00 कि.मी. से 170.800 कि.मी. तक के भू–खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 अधिसूचना संख्या का.आ. 4110 (37) दिनांक 21.08.2018 व अधिसूचना संख्या का.आ. 3810 (अ) दिनांक 31.07.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.00 कि.मी. से 170.800 कि.मी. तक (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेस वे) के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. 5061 दिनांक 28.09.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 01.10.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का. आ. 5061 (अ) दिनांक 28.09.2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति और राजस्थान ... दिनांक 09.01.2019 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया ... 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अर्न्तगत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हे पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भुमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 791(अ) दिनांक 11.02.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 11.02.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति दोनों में दिनांक 22.02.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि वाके ग्राम आमाली तह० बसवा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अर्न्तगत जारी 3 ए अधिसुचना में वाके ग्राम आमाली तह० बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे बाबत अधिसूचना प्रकाशित की गयी। उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के हितधारीयों से आक्षेप आमंत्रित किये सम्बन्ध में भी सम्बन्धति गये। प्राप्त समस्त आक्षेपों पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के सरकार को भेजी गई जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया गया कि इस अधिसुचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्ममों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि 3डी (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय अथवा ऑथोरिटी के समक्ष चुनौति नहीं दी जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण. रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित मकान आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 (जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि /निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। अवार्ड की राशि का भुगतान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारीत किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश [illegible] र का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्ति [illegible] नराशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर [illegible] धिनियम 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अ [illegible] भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के [illegible] सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/ सत्यापन सार्वजनिक निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारण किया गया। **RFCTLARR** 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (वसंजपनउ) आंगणित करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो परिसम्पत्तियों सरकारी भूमि में स्थित है, उन पर तोषण (**Solatium**) देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06. 2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई के आधार पर स्ट्रेक्चर कोड नम्बर **DB – 123 (LHS)** में निर्मित संरचना के संबंध में भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वावासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 12.06.2020 के निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :–

क्रमांक	गाँव का नाम	खसरा नंबर	स्ट्रेक्चर कोड	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
8	आमाली	258 निजी	**DB-123 (LHS)**	मांगीलाल पुत्र रामनाथ

चैनेज	नेट वैल्यू	मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेशियम	कुल निर्धारित प्रतिकर की राशि
160 + 160	7,12,920/–	7,12,920/–	14,25,840/–

अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और ना ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिससे अधिक दुरी को कम समय में तय किया जा सके । ईंधन/ उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार निर्धारण किया गया है जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत बाधित है व चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जे – खर्चे निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध जो कि केन्द्र सरकार के उपक्रम है को विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का भी कोई नोटिस नहीं दिया है जिस कारण से प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 डी के नोटिफिकेशन के पश्चात् भूमि केन्द्र सरकार निहित हो जाती है व प्रार्थी द्वारा केन्द्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है मात्र इस कारण से भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र में आगे कार्यवाही की गई तो यह प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को महज परेशान करेन की बदनियति से किया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी से विशेष हर्जा–खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है। अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की जो मुआवजा राशि पूरक अधिनिर्णय–आदेश दिनांक 12.06.2020 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अर्न्तगत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम आमाली तहसील बसवा के खसरा नंबर 258 में स्थित डी0बी0 123 एलएचएस का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई से करवाया गया था। उक्त संरचना एन.एच.148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। सार्वज़निक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई द्वारा निर्धारित की गई मूल्यांकन राशि की दुगुनी राशि का मुआवजा निर्धारित कर उक्त संरचना का अवार्ड दिनांक 20.11.2020 को पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार बसवा से प्रमाणित करने के उपरांत विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर पारित किया गया है। अवार्ड के अनुसार संरचना संख्या डी0बी0 123 एलएचएस का मुआवजा मूल्यांकन राशि 712920/–रू0 की दुगुनी राशि 1425840/–रू0 का मांगीलाल पुत्र रामनाथ के नाम स्वीकृत हुआ है। आवेदन करने पर प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जा चुका है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में मूल विवाद इस संबंध में है कि क्या प्रार्थी को मात्र अवाप्त किये गये संरचना का मुआवजा दिया जावे अथवा संपूर्ण संरचना का मुआवजा दिया जावे।

9. अवाप्त की गई संरचना का नजरी नक्शा इस प्रकार है:–

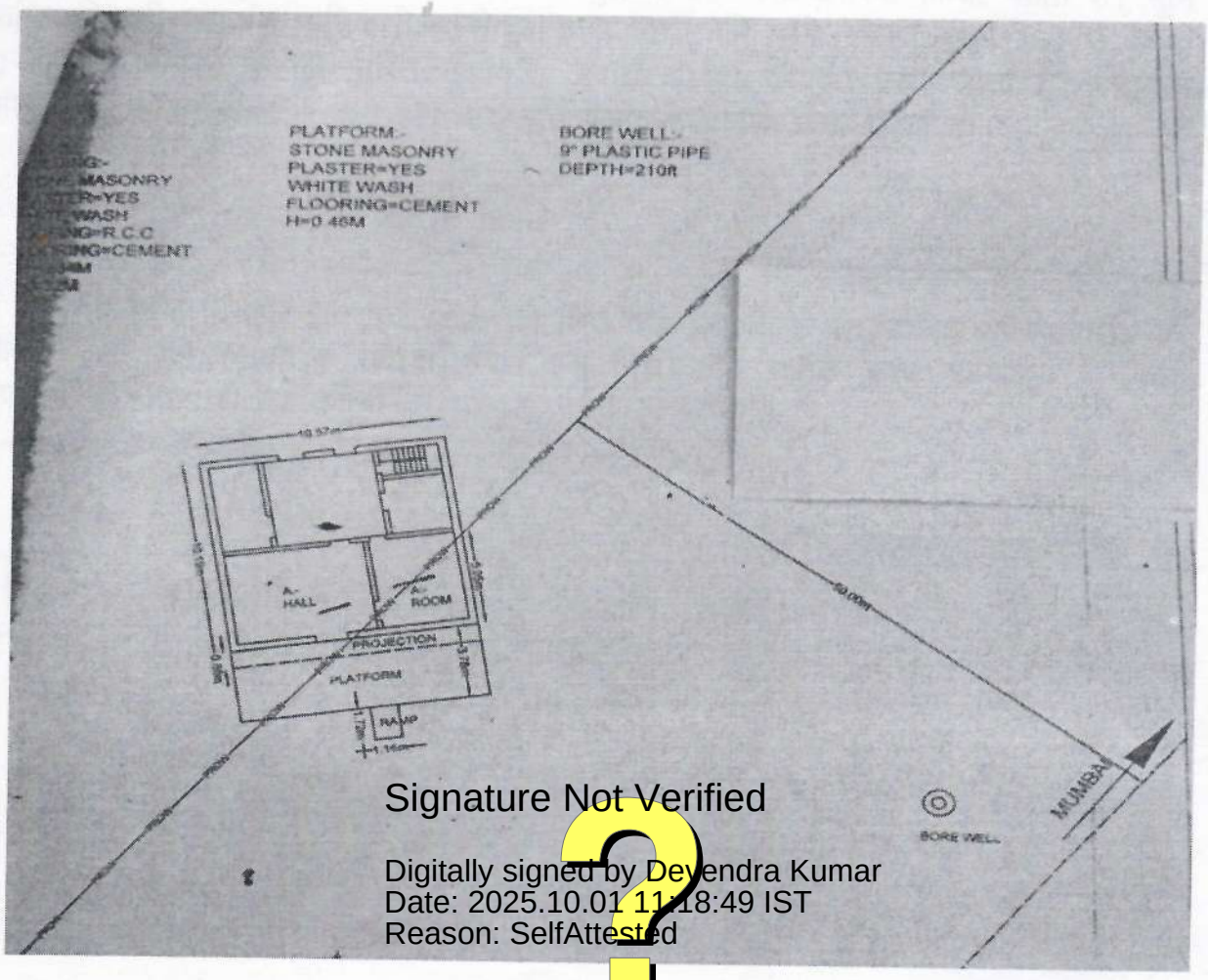

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

10. उपरोक्त नक्शे में देखा जा सकता है कि प्रार्थी को संपूर्ण आवास को अवाप्त नहीं किया जाकर उसके कुछ हिस्से को अवाप्त किया गया है एवं उस हद तक ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि जब उक्त हिस्से को अवाप्त कर तोडा गया तो इससे घर के अन्य हिस्से को भी क्षति पहुँची है एवं संपूर्ण घर निवास की स्थिति में नहीं है। घर कोई कोई लकडी का नहीं बना हुआ है जिसे कि मनचाहे तरीके से चीरा जा सके। उसके कुछ हिस्से को ध्वस्त करने से संपूर्ण मकान रिहायश अयोग्य हो जाता है जैसाकि उनके इस प्रकरण में भी हुआ है। इस संबंध में मुआवजे का निर्धारण करने के संबंध में तत्समय राज्य सरकार की नीति सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र एक्स–3/2015 लागू थी। हमने उक्त परिपत्र का अवलोकन किया। उक्त परिपत्र में इस प्रकार के प्रकरण जिसमें यदि किसी घर के आधे भाग के अधिग्रहण के संबंध में यदि मूल्यांकन करना हो तो क्या संपूर्ण संरचना का मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जायेगा इस प्रकार से कहीं भी अंकन नहीं है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जितने भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है उसी तक ही संरचना के मूल्यांकन किया जावे। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के कथन में किसी प्रकार का कोई नियम, अधिनियम, कोई केन्द्र या राज्य सरकार का परिपत्र या नीतिगत नियमों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे हम निष्कर्ष पर पहुँच सके कि किसी संरचना के कुछ हिस्से का अधिग्रहण हो रहा हो तो संपूर्ण संरचना का मुआवजा प्रार्थी को दिया जावे। अधेहस्ताक्षरकर्ता स्वयं कोई नीति या नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्तिअधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 258 में स्थित डी0बी0 123 एलएचएस का पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:18:49 IST
Reason: SelfAttested